HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1829/2025

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2464/2025

Maidansingh Son Of Shri Bhagwansingh, Aged About 36 Years, Resident Of Mahauli, Police Station Sadar, Karauli, District Karauli (Rajasthan). (At Present Is Confined In Central, Jail, Bharatpur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1703/2025

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2303/2025

1. Mahendra Son Of Shri Lal, Aged About 29 Years, Resident Of Dabra, Police Station Sapotara, District Karauli (Raj.) (At Present Lodged In District Jail Karauli)

2. Harikesh Son Of Shri Fateram, Aged About 41 Years, Resident Of Karsai, Police Station Sadar Karauli, District Karauli (Raj.) (At Present Lodged In District Jail Karauli)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Krishna Singh Mr. Malkhan Chaturvedi & Ms. Seema Kumari
For Respondent(s)	:	Mr. Shri Ram Dhakad, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

24/02/2026

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैदान सिंह, महेन्द्र एवं हरिकेश की ओर से धारा 430 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–**विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण, करौली (जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली)** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**58/2022, सरकार बनाम महेन्द्र व अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **11.08.2025** के विरूद्ध उक्त दोनों पृथक–पृथक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गए है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम सात वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। दोनों सजा स्थगन प्रार्थना पत्र एक ही निर्णय/दण्डादेश से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का संयुक्ततः एवं पृथक रूप से यह तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रकरण में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण से क्रमशः 8 ग्राम, 6 ग्राम एवं 6 ग्राम स्मैक बरामद होना बताया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण निर्णय की दिनांक 11.08.2025 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में हैं तथा दौराने विचारण भी वे कुछ समय न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं, प्रस्तुत अपील में अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण की दोषमुक्ति के संबंध में सृदृढ़ एवं पर्याप्त आधार हैं तथा अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जावें।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्रों का विरोध कर इन्हें निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों, एवं सम्पूर्ण परिस्थितियों, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए ये दोनों सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत ये दोनों सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वे इस न्यायालय में दिनांक **24.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, उपस्थित होते रहेंगे, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **1. मैदान सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, 2. महेन्द्र पुत्र श्रीलाल एवं 3. हरिकेश पुत्र श्री फथेराम** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /22-23